राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1567/2020
उषा मंत्री

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री खुशाल सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री बनवारी लाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–तृतीय, संस्कृत के पद पर आदेश दिनांक 20.04.1991 को हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 22.04.1991 को सेवा जॉइन की। अपीलार्थी ने एम.ए. (संस्कृत) का कोर्स वर्ष 1996 में पूरा किया। अपीलार्थी की उक्त योग्यता का इंद्राज सेवा पुस्तिका में किया गया। अपीलार्थी ने एम.एड (संस्कृत) पाठ्यक्रम वर्ष 1997 में पूर्ण किया, जिसका इन्द्राज भी सेवा पुस्तिका में किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.08.2011 के द्वारा स्थाई किया गया। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी के पश्चात तृतीय श्रेणी अध्यापकों को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 20.06.2013 से पदोन्नति प्रदान की है, जिसमें कुल 181 अध्यापकों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। जिसमें अध्यापक ग्रेड द्वितीय (संस्कृत) के पद पर 45 व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गई है, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 12095/2014 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.11.2014 पारित कर यह निर्देश दिया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर अभ्यावेदन दिये गये, परंतु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं

की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता धारित करता है, परंतु इसके उपरांत भी अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को लाभ दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि समान मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल रिट याचिका संख्या 986/2015 भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामलों में आदेश दिनांक 26.10.2018 पारित किया है, जिसमें अपीलार्थी के समान योग्यता रखने वाले याचिकागणों को पदोन्नति का लाभ दिये जाने के निर्देश दिये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का मामला भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण के समान ही है। अतः अपीलार्थी को भी पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर पदोन्नति की योग्यता शिक्षाशास्त्री/बी.एड नहीं रखने के कारण प्रदान नहीं की गई है।
3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थी का प्रकरण अपीलार्थी के समान अन्य व्यक्तियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति दिये जाने का आदेश डी.बी. स्पेशल रिट याचिका संख्या 986/2015 तथा अन्य अपीलों में पारित आदेश दिनांक 26.10.2018 के द्वारा दिया है। अपीलार्थी का मामला उक्त रिट याचिका के मामले से भिन्न नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी भी उसी प्रकार से लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, जो उक्त रिट याचिका में याचि भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी व अन्य को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है।
5. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण डी.बी. स्पेशल रिट याचिका संख्या 986/2015 भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी एवं अन्य के मामलों में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 के आधार पर वे समस्त लाभ प्रदान किये जायें, जो उक्त रिट याचिका में याचीगण को प्रदान किये गये हैं।
6. इस आदेश की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)